होटल गढ़वाल टैरेस मसूरी के ओपन टैरेस को किराये पर आंवटित करने हेतु आवेदन पत्र

मूल्य रू0 500.00 + 18 % जी0एस0टी0 अतिरिक्त = रू0 590.00

रंगीन फोटो

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक,
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड,
74/1 राजपुर रोड़, देहरादून।

महोदय,

आपके दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र के विज्ञापन संख्या .... दिनांक .... के क्रम में मैं गढ़वाल टैरेस मसूरी के ओपन टैरेस को संचालित करने का ईच्छुक हूँ इस हेतु मैं वांछित योग्यता रखता हूँ। प्रार्थी का विवरण निम्नवत् है:—

1. आवेदक का नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यता ....
....

4. स्थायी पता ....
....

5. मोबाईल/फोन न0...

6. अनुभव का विवरण...
....

7. प्रतिभूति राशि का विवरण:— बैंक का नाम.............................ड्राफ्ट सं0.....................दिनांक.............

धनराशि अंकों में रू0 .... शब्दों में रू0 ....

8. प्रस्तावित किराया...

प्रार्थी के द्वारा निगम की ईकाई होटल गढ़वाल के ओपन टैरेस का निरीक्षण भली—भांति कर लिया गया है, तथा ओपन टैरेस को किराये पर लेने के लिए सहमत है। ओपन टैरेस के संचालन हेतु निगम द्वारा निर्धारित सेवा शर्ते मुझे स्वीकार है, और मैं निगम की सेवा शर्तो के अनुरूप ही ओपन टैरेस का संचालन वर्ष 2018—2019 में करूंगा।

आवेदक का नाम ....
आवेदक के हस्ताक्षर ....

वर्ष 2018–2019 के लिए होटल गढ़वाल टैरेस मसूरी स्थित ओपन टैरेस को रोलर स्केटिंग के आयोजन हेतु किराये पर दिये जाने हेतु निर्धारित सेवा शर्ते।

1. होटल गढ़वाल टैरेस मसूरी के ओपन टैरेस का एक निर्धारित स्थान किराये पर दिया जायेगा।

2. ओपन टैरेस का किराया रू0 35,000.00 प्रतिमाह न्यूनतम निर्धारित किया गया है। अधिक धनराशि देने वाली निविदा पर निगम प्रबंधन द्वारा विचार किया जायेगा।

3. किराये के अतिरिक्त 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 एंव अन्य करों तथा विद्युत एंव पानी के देयकों का भुगतान किरायेदार द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।

4. रोलर स्केटिंग का आयोजन टैरेस के निर्धारित स्थान पर होगा, जिसका आवंटन वरिष्ठ प्रबंधक, होटल गढ़वाल टैरेस मसूरी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

5. ओपन टैरेस का कुछ स्थान पर्यटकों के लिए ओपन ब्यू देखने हेतु संचालक द्वारा खाली रखा जायेगा।

6. निविदा स्वीकृत होने पर तीन माह का अग्रिम किराया संचालक द्वारा रोलर स्केटिंग का आयोजन किये जाने से पूर्व किया जायेगा तथा उसके पश्चात प्रत्येक माह का किराया अग्रिम मे 05 तारीख से पूर्व ईकाई अथवा मुख्यालय मे जमा किया जायेगा।

7. रोलर स्केटिंग के आयोजन की अनुमति जिला प्रशासन से लेने का दायित्व संचालक का होगा।

8. ओपन टैरेस में रोलर स्केटिंग के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व संचालक का होगा।

9. रोलर स्केटिंग के आयोजन के दौरान यदि पर्यटकों द्वारा संचालक के विरूद्व निगम से कोई शिकायत की जाती है या संचालक द्वारा निगम के किराये का भुगतान लंबित रखता है तो निगम प्रबंधन द्वारा संचालक का अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।

10. आवेदन पत्र/निविदा के साथ रू0 42,000.00 की प्रतिभूति राशि का ड्राफ्ट जो कि प्रबन्ध निदेशक गढ़वाल मण्डल विकास निगम के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. रोलर स्केटिंग के संचालन के दौरान ओपन टैरेस में संचालक द्वारा उच्च कोटि की सफाई रखी जायेगी, जिसका निरीक्षण समय–समय पर निगम के अधिकारियों तथा प्रभारी गढ़वाल टैरेस द्वारा किया जायेगा।

12. ओपन टैरेस जैसा है जहा है के आधार पर आवंटित किया जायेगा। सफल निविदादाता के साथ अनुबंध के पश्चात रोलर स्केटिंग के संचालन में किसी भी प्रकार की सुविधा/असुविधा के लिए कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। दैवीय आपदा अथवा अन्य कारणों से संचालक के रोलर स्केटिंग के व्यापार पर यदि कोई ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है तो निगम इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

13. संचालक द्वारा निगम के नाम का उपयोग अपनी स्टेशनरी एंव कैश मैमो में नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो संचालक का अनुबंध निगम द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।